



मध्य प्रदेश | MADHYA PRADESH "पारुप 26"
(नियम 4 क देखिए)

12AA 067146

विधान सभा क्षेत्र क्रमांक 143-सितावानी (निर्वाचन क्षेत्र से)
(निर्वाचन क्षेत्र का नाम)

विधान सभा (सदन का नाम) के निर्वाचन के लिए रिटर्निंग आफिसर के समक्ष अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाला शपथ-पत्र।

मैं रामपाल सिंह आत्मज स्व. श्री जुझार सिंह राजपूत आयु 52 वर्ष जो लक्ष्मी चौक, पोस्ट व तहसील उदयपुरा, जिला रायसेन का निवासी हूँ और उपरोक्त निर्वाचन में अभ्यर्थी हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ कि शपथ पर निम्नलिखित कथन करता हूँ:-

(1) मैं ऐसे किसी लम्बित मामले में दो वर्ष या अधिक से कारावास से दण्डनीय किसी अपराध (अपराधों) का अभियुक्त नहीं हूँ, जिसमें सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है।

(यदि अभिसाक्षी ऐसे किसी अपराध (अपराधों) का अभियुक्त है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा):-

1. मामला/प्रश्न सूचना रिपोर्ट संख्या/संख्यायें - नहीं
2. पुलिस थाना (थाने) नहीं जिला (जिले) नहीं राज्य नहीं
3. संबंधित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धारार) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए अभ्यर्थी आरोपित किया गया है - नहीं
4. न्यायालय जिसके (जिनके) द्वारा आरोप (आरोपों) की विरचना की गई - नहीं
5. तारीख (तारीखें) जिनको आरोप विरचित किया गया थे - नहीं
6. क्या सभी या कोई कार्यवाही किसी सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोकी गई है - नहीं

क्रमशः2

(2)

(2) मुझे किसी अपराध (अपराधों) (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 (1951 का 43) की धारा 8 की उपधारा (1) या उपधारा (2) में निर्दिष्ट या उपधारा (3) के अन्तर्गत आने वाले किसी अपराध (अपराधों) से भिन्न के लिए सिद्धदोष नहीं ठहराया गया है और एक वर्ष या अधिक के लिए कारावास से दण्डदिष्ट नहीं किया गया।

(यदि अभिसाक्षी उपर्युक्त रूप से सिद्धदोष ठहराया गया और दण्डदिष्ट किया गया है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा):-

1. मामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या/संख्यायें - नहीं
2. न्यायालय, जिसने दण्डित किया है : नहीं
3. पुलिस थाना (थाने) नहीं जिला (जिले) नहीं राज्य नहीं
4. संबंधित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए अभ्यर्थी आरोपित किया गया है - नहीं
5. तारीख (तारीखें) जिनको दण्डादेश सुनाया गया था/ सुनाए गए थे- नहीं
6. क्या दण्डदेश सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोका गया है/रोके गए हैं- नहीं



स्थान: भोपाल
तारीख: 03-11-2008


अभिसाक्षी के हस्ताक्षर

सत्यापन

मैं ऊपर नामित अभिसाक्षी, यह सत्यापित और घोषित करता हूँ कि इस शपथ-पत्र की अन्तर्वस्तु मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है और इसका कोई भाग मिथ्या नहीं है और कोई तान्त्रिक चपत छिपायी नहीं गई है।



मैं आज तारीख 03/11/2008 को सत्यापित किया।


अभिसाक्षी के हस्ताक्षर

टिप्पणी:- इस प्रारूप के वे स्तम्भ, जो अभिसाक्षी को लागू नहीं हैं, काट लिए जाएं।

IDENTIFIED BY

NAME Mikha Ramon Khan

ADDRESS Vill. CHITRA, Tal. GONDIA

SIGNATURE [Signature]

SWORN BEFORE ME BY

THE WITHIN-NAMED

[Signature]

3/11/08
B. S. SRIVASTAVA

NOTARY & ADVOCATE

Opp-Old Vidhan Sabha,

BHOPAL Phone-552317

राज्य विधान मण्डल के निर्वाचन में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा-8 के अधीन प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत की जानी वाली जानकारी के लिए प्रोफार्मा 143-सिलवानी निर्वाचन क्षेत्र से विधान सभा के निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी का नाम: रामपाल सिंह आत्मज स्व. श्री जुझार सिंह

1.	क्या कभी किसी न्यायालय द्वारा निम्नलिखित किसी भी मामले में आपको सिद्धदोष ठहराया है	नहीं
(एक)	लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8 की उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट किसी मामले में	नहीं
(दो)	उक्त धारा 8 की उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट किसी मामले में, जिसमें कम से कम छः माह का दण्ड दिया गया हो।	नहीं
(तीन)	किसी अन्य मामले में, जिसमें कम से कम दो वर्ष का दण्ड दिया गया हो।	नहीं
2.	यदि हां तो निम्नानुसार ब्यौरे (प्रत्येक मामले में पृथक-पृथक रूप से) दीजिए-	
(एक)	सिद्धदोष ठहराने वाले न्यायालय का नाम	नहीं
(दो)	दोषसिद्ध की तारीख	
(तीन)	क्या आप ऐसी दोषसिद्धि की तारीख को संसद या विधान मण्डल के सदस्य थे, हां/नहीं	
(चार)	यदि हां, तो संसद सदस्य/विधानसभा सदस्य/विधान परिषद सदस्य के यप में ऐसी हैसियत के सही ब्यौरे दीजिए	
(पांच)	किए गए अपराध का स्वरूप (संबंधित अधिनियम तथा धाराओं के ब्यौरे सहित)	
(छः)	अधिरोपित दण्ड	
(सात)	कारावास की अवधि यदि कोई हो	
(आठ)	कारागार से रिहा होने की तारीख	
3.	क्या उपर्युक्त दोषसिद्धि के विरुद्ध कोई अपील की गई/पुनरीक्षण के लिए कोई आवेदन किया गया-	नहीं
(एक)	प्रस्तुत की गई अपील/पुनरीक्षण के लिए दिए गए आवेदन; यदि कोई हो, का निर्देश क्रमांक	
(दो)	ऐसी अपील/पुनरीक्षण के लिए किए गए आवेदन की तारीख	
(तीन)	उस न्यायालय का नाम, जिसके समक्ष अपील की गई/पुनरीक्षण के लिए आवेदन किया गया।	
(चार)	क्या उक्त अपील/पुनरीक्षण के लिए दिए गए आवेदन का निपटारा हो गया है या वह लंबित है (निपटारा किया गया/लंबित)	
(पांच)	यदि निपटारा हो गया हो, तो (क) निपटारे की तारीख (ख) पारित आदेश का स्वरूप	
(छः)	क्या अपील/पुनरीक्षण के लिए दिए गए आवेदन के दौरान कोई जमानत मंजूर की गई।	
(सात)	यदि हां, तो कितनी अवधि तक जमानत पर रहें।	

स्थान: भोपाल
तारीख 03/11/2008

(अभ्यर्थी के हस्ताक्षर)

IDENTIFIED BY

N. ME. Muskan Khatun Kundi

ADDRESS: Chitwan Taluk, Chitwan Dist. Kailash

SIGNATURE Beet

SWORN BEFORE ME BY
THE WITHIN NAMED

B. S. Shivastava
23/11/08
B. S. SHIVASTAVA



U.P. BHARAT PRADESH

12AA 067149

नामनिर्देशन पत्र के साथ अभ्यर्थी द्वारा रिटर्निंग आफिसर के समक्ष प्रस्तुत किया जाने वाला शपथ पत्र

143-सिलवानी (निर्वाचन क्षेत्र का नाम) निर्वाचन क्षेत्र से
विधान सभा (सदन का नाम) के निर्वाचन के लिए

मैं अभ्यर्थी रामपाल सिंह आत्मज स्व. श्री जुहार सिंह राजपूत आयु 52 वर्ष निवासी टाकनी चौक, पोस्ट व तहसील उदयपुरा, जिला रायसेन (म.प्र.) उपरोक्त निर्वाचन में सत्यनिष्ठ पूर्वक प्रतिज्ञान और निम्न प्रकार से एतद्वारा शपथपूर्वक कहता हूँ कि (जो लागू न हो उसे काट दें) :-

- (1) निम्नलिखित प्रकरण मेरे विरुद्ध लम्बित हैं, जिसका/जिनका न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया गया है:-
 - (I) अधिनियम एवं उसकी धारा और अपराध का विवरण, जिसका/जिनका न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया गया है: लागू नहीं
 - (II) न्यायालय जिसके द्वारा संज्ञान लिया गया है: लागू नहीं
 - (III) प्रकरण क्रमांक : लागू नहीं
 - (IV) न्यायालय द्वारा संज्ञान लेने के आदेश तारीख : लागू नहीं
 - (V) संज्ञान लेने के उपरोक्त न्यायालय के आदेश के विरुद्ध अपील/पुनरीक्षण आदि, यदि कोई हो तो, उसका विवरण : लागू नहीं
- (2) कि, मैं इसके द्वारा अपना, पति/पत्नी तथा अपने आश्रितों की परिसम्पत्तियों (अचल/चल, बैंक जमा आदि) का विवरण इसके नीचे दे रहा हूँ।*

क्रमशः2

क्र.	विवरण	स्वयं	पत्नी का नाम	आश्रित-1 का नाम	आश्रित-2 का नाम	आश्रित-2 का नाम
1.	नाम →		श्रीमती शशिप्रभा सिंह राजपूत	कु. अल्पना सिंह राजपूत	श्री गिजेश प्रताप सिंह राजपूत	श्री अवधेश प्रताप सिंह राजपूत
4.	अन्य वित्तीय साधनों एनएसएस, डाक बचत, एलआईसी पालिसी आदि	1 एल.आई.सी. पॉलिसी क्र. 351629305 राशि रु. 100000.00 है।	नहीं	एल.आई.सी. पॉलिसी क्र. 352492547 रु. 1 लाख	1 एल.आई.सी. पॉलिसी क्र. 352214738 250000.00 2. पा.क्र. 352492546 रु. 10000/-	एल.आई.सी. पालिसी क्र. 352492549 रु. 1 लाख
5.	मोटर वाहन, (कम्पनी, मॉडल आदि का विवरण)	1- एक स्कारपियो क्र. MP-04HC-5033 माडल- 2004 2- एक मैसी ट्रैक्टर माडल 1965	एक स्कारपियो क्र. MP-04CB-0033 माडल-2007	नहीं	नहीं	नहीं
6.	गहने, भार तथा कीमत का विवरण दें)	सोना 20 तोला बाजार मूल्य लगभग 2.20 लाख	60 तोला सोना बाजार मूल्य लगभग 6.60 लाख एवं 8 किलो चांदी कीमत लगभग- 1.44 लाख	10 तोला सोना बाजार मूल्य लगभग 110000/-	2 तोला सोना बाजार मूल्य लगभग 22 हजार	2 तोला सोना बाजार मूल्य लगभग 22 हजार
	अन्य परिसम्पत्तियां जैसे- दावे की मूल्य/ ब्याज	स्वीकृत शस्त्र लाइसेंस पर इन्द्राज 1. एक पिस्टल 0.22 बोर Rs.50,625/- 2. एक 0.22 बोर रायफल Rs.60,000/- 12 बोर गन Rs.50,000/- घरेलू सामान लगभग 20 लाख	नहीं	नहीं	स्वीकृत शस्त्र लाइसेंस पर इन्द्राज एक 22 बोर रायफल Rs.7,875/ रु. 0-32 बोर रिवाल्वर Rs. 50,000/-	नहीं

टिप्पणी : सूचीबद्ध कम्पनियों के सम्बन्ध में बॉण्ड / शेयर/डिबेन्चर की कीमत स्टाक एक्सचेंज की अद्यतन बाजार कीमत के अनुसार तथा गैर सूचीबद्ध कम्पनियों के मामलों खातो के अनुसार दी जाये ।


*आश्रित से तात्पर्य अभ्यर्थी की आय पर वह व्यक्ति पूर्णतः आश्रित है ।

टीप :- पूर्व में मुझ पर आश्रित मेरे ज्येष्ठ पुत्र दुर्गेश प्रताप सिंह राजपूत द्वारा वर्तमान में स्वतंत्र रूप से अपना व्यवसाय किया जा रहा है जो वर्तमान में मुझ पर आश्रित नहीं है ।

(ख) अचल परिसम्पत्तियों का विवरण

(टिप्पणी: संयुक्त स्वामित्व की संपत्ति में संयुक्त स्वामित्व के विस्तार को भी उल्लेख किया जाए)

क्र.	विवरण	स्वयं	पत्नी का नाम श्रीमती शशिप्रभा सिंह राजपूत	आश्रित-1 का नाम कृ. अप्पलना सिंह राजपूत	आश्रित-2 का नाम प्रियेश प्रताप सिंह राजपूत	आश्रित-3 का नाम अवधेश प्रताप सिंह राजपूत
1.	<p>कृषि भूमि</p> <p>स्थिति (स्थितियाँ) सर्वेक्षण संख्या विस्तार (कुल माप) वर्तमान बाजार मूल्य</p>	<p>ग्राम पिपलिया केवट तह. उदयपुरा जिला रायसेन में खसरा नं. 142/1 में रकबा 24 एकड़ कृषि भूमि है। जिसका वर्तमान बाजार मूल्य रु. 24.00 लाख है।</p> <p>पैतृक पारिवारिक सम्पत्ति कृषि भूमि जिसका बंटवारा नहीं हुआ है, हमारे संयुक्त हिन्दू परिवार की संपत्ति में मेरे भ्राता श्री मानसिंह, श्री रूद्रपाल सिंह, श्री रामपाल सिंह राजपूत आत्मज स्व. श्री जुझार सिंह राजपूत, निवासी ग्राम पिपलिया केवट, तह. उदयपुरा, जिला रायसेन में 18 किता कुल रकबा 75.08 एकड़ जो कि ग्राम पिपलिया केवट तह. उदयपुरा जिला रायसेन में स्थित है, जिसका बाजार मूल्य लगभग रु. 75.00 लाख है। इसमें 1/3 मेरा भी अंश है।</p> <p>पैतृक पारिवारिक संपत्ति कृषि भूमि जिसका बंटवारा नहीं हुआ है, संयुक्त हिन्दू परिवार की संपत्ति में मेरे भ्राता श्री मानसिंह, श्री रूद्रपाल सिंह, श्री रामपाल सिंह आत्मज स्व. श्री जुझार सिंह राजपूत निवासी ग्राम पिपलिया केवट, तह. उदयपुरा, जिला रायसेन रकबा 40.77 एकड़ जो कि ग्राम केवट पिपलिया तह. उदयपुरा, जिला रायसेन में स्थित है, जिसका प्रकरण शासन स्तर पर लंबित है। इसमें मेरा भी अंश है।</p>	<p>ग्राम पिपलिया केवट तह. उदयपुरा जिला रायसेन में खसरा नं. 133/1/1 एवं खसरा नं. 133/1/2, कुल रकबा 6 एकड़ कृषि भूमि है, जिसका वर्तमान बाजार मूल्य रु. 6.00 लाख है।</p> <p>ग्राम निवाड़ी तहसील उदयपुरा, जिला रायसेन में पैत्रिक कृषि भूमि है, जो मेरी पत्नि श्रीमती शशिप्रभा सिंह के सगे भाई श्री वीरेन्द्र सिंह चौहान पुत्र स्व. श्री हाकम सिंह निवासी ग्राम निवाड़ी, तहसील उदयपुरा, जिला रायसेन के नाम से हैं। जिसका बंटवारा नहीं हुआ है। हिस्सा 1/3</p>	नहीं	नहीं	नहीं



(Handwritten Signature)

(2)

(टिप्पणी: संयुक्त स्वामित्व की संपत्ति में संयुक्त स्वामित्व के विस्तार को भी उल्लेख किया जाए)

क्र.	विवरण	स्वयं	पत्नी का नाम श्रीमती शशिप्रभा सिंह राजपूत	आश्रित-1 का नाम कृ. अल्पना सिंह राजपूत	आश्रित-2 का नाम ग्रिजेश प्रताप सिंह राजपूत	आश्रित-3 का नाम अवधेश प्रताप सिंह राजपूत
2.	गैर कृषि भूमि • स्थिति (स्थितियाँ) • सर्वेक्षण संख्या • विस्तार (कुल माप) • वर्तमान बाजार मूल्य	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
3.	भवन (व्यावसायिक और आवासीय) • स्थिति (स्थितियाँ) • सर्वेक्षण/दरवाजा नं. • विस्तार (कुल माप) • वर्तमान बाजार मूल्य	1. लक्ष्मी चौक उदयपुरा तहसील उदयपुरा, जिला रायसेन में एक मकान है, जिसका बाजार मूल्य लगभग रु. 10.00 लाख 2. ग्राम केवट पिपरिया तह. उदयपुरा में एक पैत्रिक मकान है, जिसकी कीमत लगभग 6.00 लाख है। 3. म.प्र. विधानसभा के सदस्यों को आबंटित रिवेरा परिसर माता मंदिर भोपाल में आवासीय प्लॉट एच-25, कीमत 26 लाख गृह निर्माण मण्डल द्वारा भवन निर्माणाधीन।	ग्राम उदयपुरा, तहसील उदयपुरा, जिला रायसेन में पारिवारिक बंटवारे में प्राप्त एक पैत्रिक आवासीय प्लॉट है, जिसका सर्वे क्र. 451/1/3 रकबा 0.40 एकड़ याने 16900 वर्गफिट हैं, जिसका वर्तमान बाजार मूल्य 10.00 लाख रुपये है।	नहीं	नहीं	नहीं
4.	मकान/अपार्टमेंट आदि • स्थिति (स्थितियाँ) • सर्वेक्षण/दरवाजा नं. • विस्तार (कुल माप) • वर्तमान बाजार मूल्य	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
5.	अन्य (संपत्ति के अश आदि)	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं



(3)

3. मैं सार्वजनिक वित्तीय संस्थाओं और सरकारी देनदारियों की बकाया अपनी देयताओं/अति देयताओं का विवरण इसके नीचे दे रहा हूँ:-


(टिप्पणी: कृपया प्रत्येक मद के लिए अलग विवरण दें)

क्रमांक	विवरण	बैंक/वित्तीय, संस्थान/ संस्थानों विभाग (विभागों) का नाम और पता	दिनांक को बकाया राशि
क (i)	बैंक से ऋण	1. सेन्द्रल बैंक ऑफ इंडिया शाखा उदयपुरा जिला रायसेन से किसान क्रेडिट कार्ड बनवाया है।	20/10/08 की स्थिति में रु.195195/- बकाया है
		2. पंजाब नेशनल बैंक, शाखा टी.टी. नगर 5 नम्बर बस स्टाप भोपाल से म.प्र.विधानसभा के सदस्यों को आवंटित रिवेरा परिसर माता मंदिर भोपाल में आवासीय मकान क्र. एच-25 क्रय हेतु रु. 20 लाख का 15 वर्षीय आवासीय ऋण।	20/10/08 की स्थिति में रु.14,79,895/- बकाया है
		3. मेरी पत्नि के नाम से एक स्कारपियो क्रमांक एम.पी. 04 सी.बी. 0033 वाहन के लिए भारतीय स्टेट बैंक आफ इंडिया शाखा विधायक विश्राम गृह भोपाल से ऋण लिया।	20.10.2008 की स्थिति में रु. 3,65,429 बकाया है
(ii)	वित्तीय संस्थानों से ऋण	लागू नहीं	
(iii)	सरकारी देयताएं	विभाग (विभागों) का नाम और पता -	
	(क) शासकीय आवास से संबंधित विभाग/विभागों की देयतायें		बकाया नहीं
	(ख) जल आपूर्ति से संबंधित विभाग/विभागों की देयतायें	×	बकाया नहीं
	(ग) विद्युत् आपूर्ति से संबंधित विभाग/विभागों की देयतायें	×	बकाया नहीं
	(घ) दूरभाष से संबंधित विभाग/विभागों की देयतायें	×	बकाया नहीं
	(ङ) शासकीय परिवहन (वायुयान एवं हेलीकाप्टर सहित) से संबंधित विभाग/विभागों की देयतायें	×	लागू नहीं
	(च) अन्य देयतायें, यदि कोई हो	×	नहीं
ख (i)	अधिभार सहित आयकर जिस वर्ष तक आयकर विवरणी दाखिल नहीं की गई, उस निर्धारण वर्ष का भी उल्लेख करें, अपना स्थायी लेखा नंबर पी.ए.एन. (पेन) भी दें।	PAN AZYPS0213N	पूर्व वर्ष की विवरण जमा करना शेष नहीं है निर्धारण वर्ष 08-09 तक विवरणी जमा की गई है एवं कोई आयकर का भुगतान शेष नहीं है।
(ii)	धन कर (धन कर धन की विवरणी किसी निर्धारण वर्ष तक दाखिल की गई उसका भी उल्लेख करें)	लागू नहीं है	नहीं
(iii)	बिक्री कर (केवल साम्प्रतिक व्यवसाय के मामले में)	लागू नहीं है।	

(4)

4. मेरी शैक्षिक योग्यताएं निम्नलिखित हैं :-
(स्कूल तथा विश्वविद्यालय स्तरीय शिक्षा का विवरण दें)
(स्कूल/विश्वविद्यालय का नाम तथा वर्ष का विवरण भी अवश्य दें, जिस वर्ष वह कोर्स पूर्ण किया गया)

- बी.ए. - वर्ष 1981 में शासकीय महाविद्यालय बरेली (भोपाल युनिवर्सिटी भोपाल) से बी.ए. परीक्षा उत्तीर्ण
- एल.एल.बी.- बरकतउल्लाह विश्व विद्यालय भोपाल से वर्ष 1989 में एल.एल.बी. की परीक्षा उत्तीर्ण की।


अभिसाक्षी

सत्यापन

मैं, उपर्युक्त नाम का अभिसाक्षी, इसके द्वारा यह सत्यापित करता हूँ और यह घोषणा करता हूँ कि इस शपथ-पत्र की विषय वस्तु मेरे विश्वास और जानकारी में सत्य और सही है और इसका कोई भी भाग गलत नहीं है और कुछ भी महत्वपूर्ण इसमें छिपाया नहीं गया है।

वर्ष 2008 के 3 नवम्बर, सोमवार दिन को भोपाल स्थान पर सत्यापित।


अभिसाक्षी



IDENTIFIED BY

NAME Mirza Kamran Khan

ADDRESS Villa Chitrapur The Chowk

SIGNATURE Bashir

SWORN BEFORE ME BY
THE WITHIN NAMED

B. S. SHIVASTAVA
NOTARY & ADVOCATE
Opp-Old Vidhan Sabha,
BHOPAL. Phone-552317

